

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3857 / 2024


दिनांक 21.11.2024

सुश्री सोनिया बेनिवाल (RJ00421), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारां को दिनांक 19.11.2024 से 26.11.2024 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सुश्री बेनिवाल की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, बारां इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल कर रहे हैं।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारां के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/53/2002/9414

दिनांक : 21.11.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारां को उनके पत्रांक 230 दिनांक 18.11.2024 के सन्दर्भ में।
3. सुश्री सोनिया बेनिवाल (RJ00421), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-02, बारां।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, कम-01, बारां।


21/11/24

सहायक रजिस्ट्रार